

सहायक कलक्टर बस्ती जे. जयपुर

माल्य

रामवतार बनाम कन्हैयालाल

47/2018

क्रमा संख्या / वर्ष

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विरुद्ध रूप से

11/11/21 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/11/21 को पेश हो।

29/11/21


पत्रावली पेश हुई। कमील परतकार (अप) प्रार्थी सं. 1 के फोटो होते और कृतज्ञता प्राप्त होते पर कमील परतकार के प्रार्थी सं. 1 के व्यक्तित्व मुसलमान की कार्यवाही हुई जिसपर श्री रामवतार पत्रावली दिनांक 2.1.23 को व्यक्त मुसलमान एवं प्रार्थी जान की कलबी हेतु दिनांक 2.1.23 को पेश हो।

02/11/23

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 02/11/23 को पेश हो।

02/02/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 022R3 सीपीसी पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर लुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता को उम्मत प्रार्थना पत्र पर लुनने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर भयाद होने से न्यायक्षेत्र में प्रार्थना पत्र 022R3 सीपीसी



नि. 21/2/23  
नि. नि. नि. मु. शा. शा.  
ज. शा. शा.  
शा. शा.

शा. शा.  
शा. शा.

2018/02/20

सहायक न्यायाधीश

राज्य न्यायालय, जिला जयपुर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 17/08 रासवतार बनाए करहेगात्सल
		<p>स्वीकार किया जाकर प्रार्थी से 1 रासवतार के विधिक वारिसों को प्रार्थी से 1/1 से 1/2 के रूप में बतौर प्रार्थीगण पत्रकार संघोक्ति किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी ने संबंधित अनवान पेश किया।</p> <p>प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विट्टी करने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विट्टी कर अंतरिम आदेश समाप्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पट्टान प्रार्थी आद्यवस्ता ने की। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली का भवलोहन करने एवं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुनने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विट्टी करने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को विट्टी करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विट्टी स्वीकार होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2020 को दिया गया स्थगन आदेश सारदीन होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">26 सहायक न्यायाधीश जिला जयपुर</p>